विद्या भारती उत्तर क्षेत्र

आधारभूत एवं केन्द्रीय विषयों के
क्रियान्वयन हेतु प्रमुख बिन्दु

हमारा लक्ष्य

इस प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा–प्रणाली का विकास करना है जिसके द्वारा ऐसी युवा–पीढ़ी का निर्माण हो सके जो हिन्दुत्वनिष्ठ एवं राष्ट्रभक्ति से ओत–प्रोत हो, शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण विकसित हो तथा जो जीवन की वर्तमान चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक कर सके और उसका जीवन ग्रामों, वनों, गिरिकन्दराओं एवं झुग्गी–झोपडियों में निवास करने वाले वाले दीन–दुःखी, अभावग्रस्त अपने बान्धवों को सामाजिक कुरीतियों, शोषण एवं अन्याय से मुक्त कराकर राष्ट्र जीवन को समरस, सुसम्पन्न एवं सुसंस्कृत बनाने के लिए समर्पित हो।

प्रकाशक :
विद्या भारती उत्तर क्षेत्र
नारायण भवन, गीता निकेतन परिसर, लाला लाजपत मार्ग,
कुरुक्षेत्र – 136118 (हरियाणा)

प्रथम संस्करण–1500 प्रतियाँ
आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी, विक्रमी सम्वत् 2068
19 जून, 2011.

द्वितीय संस्करण–4500 प्रतियाँ
मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्थी, सम्वत् 2073
17 दिसम्बर, 2016.

© सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन

मुद्रक –
बुलबुल प्रिंटिंग प्रैस
मनीमाजरा, चण्डीगढ़
फोनः 0172–5007845, 9988338711
E-mail: bulbulpress@gmail.com

एक निवेदन

विद्या भारती द्वारा निर्धारित लक्ष्य 'हमारा लक्ष्य' की प्राप्ति हेतु अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन विद्यालय स्तर पर होना अपेक्षित है। विद्या भारती के लक्ष्य में अपेक्षित बालक के सर्वांगीण विकास हेतु पाँच आधारभूत विषयों का क्रियान्वयन विद्यालय में होना नितान्त आवश्यक है। लक्ष्य प्राप्ति हेतु विद्या भारती ने पाँच आधारभूत विषयों के साथ-साथ कुछ केन्द्रीय विषयों के क्रियान्वयन का आग्रह भी किया है। उपरोक्त विषयों का क्रियान्वयन अपने उत्तर क्षेत्र के सभी विद्यालयों में हो सके, इस हेतु दो स्थानों पर सभी विषयों के प्रान्त प्रमुख, सह-प्रमुख व क्षेत्र के प्रमुख एवं सह-प्रमुखों की तीन दिवसीय कार्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। इनमें पाँच आधारभूत विषय, विज्ञान, वैदिक गणित, कम्प्यूटर व उपेक्षित क्षेत्र की शिक्षा ऐसे-9 विषयों की कार्यगोष्ठी, हरिनगर, दिल्ली में 25 से 27 फरवरी, 2011 को आयोजित की गई जिसमें माननीय ब्रह्मदेव शर्मा (भाई जी) का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था।

इसी प्रकार संस्कृति बोध परियोजना, आचार्य प्रशिक्षण, बालिका शिक्षा, शोध, विद्वत् परिषद्, पूर्व छात्र परिषद्, स्वदेशी एवं ग्रामीण शिक्षा ऐसे 8 विषयों की कार्यगोष्ठी तलवाड़ा (पंजाब) में 7, 8 व 9 मई को आयोजित की गई, जिसमें माननीय प्रकाश चन्द्र जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उपरोक्त दोनों स्थानों की गोष्ठियों में सभी विषयों के क्रियान्वयन हेतु कुछ प्रमुख बिन्दु निर्धारित किए गए थे, जिनको प्रत्येक विद्या मन्दिर में लागू करना अपेक्षित था। इस वर्ष भी (सत्र 2016-17) सर्वहितकारी विद्या मन्दिर, डेराबस्सी, (पंजाब) में उपरोक्त विषयों की कार्यशाला दिनांक 30-07-2016 से 02-08-2016 तक आयोजित की गई जिसमें क्रियान्वयन के न्यूनतम बिन्दुओं की समीक्षा कर आगामी वर्षों में क्रियान्वयन हेतु सभी विषयों के न्यूनतम बिन्दु तय किए गए ताकि इन बिन्दुओं के क्रियान्वयन से हम शिक्षा में अपने लक्ष्य को पूर्ण करने में सफल होंगे।

ऐसा अनुभव किया जा रहा था कि उपरोक्त विषयों के क्रियान्वयन के न्यूनतम बिन्दुओं को विषयानुसार एक लघु पुस्तिका का रूप दिया जाए और यह पुस्तिका प्रत्येक विद्यालय में व विषय प्रमुख कार्यकर्त्ता के पास रहे तो बिन्दुओं का स्मरण रखना सहज हो जाएगा। बिन्दुओं के स्मरण रहने पर विषयों का क्रियान्वयन करना स्वाभाविक है। अतः **'विषयों के क्रियान्वयन हेतु प्रमुख बिन्दु'** की यह पुस्तिका आपके सम्मुख सादर प्रस्तुत है।

हम सब जानते हैं कि पाँच आधारभूत विषय हमारे लक्ष्य की प्राप्ति व हमारे विद्यालय की पहचान बनाने में मुख्य भूमिका अदा करते हैं अतः पाँच आधारभूत विषयों का क्रियान्वयन अपने प्रत्येक विद्यालय में नितान्त आवश्यक है। आधारभूत विषयों का क्रियान्वयन विद्यालय में हो इस हेतु कुछ सुझाव निवेदन कर रहा हूँ:

1. विद्यालय की समय सारिणी में प्रत्येक विषय का समायोजन हो।
2. पाँचों आधारभूत विषयों के पाठ्यक्रम प्रधानाचार्य, विषय आचार्य के पास एवं पुस्तकालय में उपलब्ध हों।
3. प्रत्येक विषय के लिए योग्य व सक्षम आचार्य की व्यवस्था रहे। आचार्यों की योग्यता-क्षमता के विकास हेतु विद्यालय में मासिक दक्षता वर्ग हों।
4. प्राधानाचार्य द्वारा आचार्यों की साप्ताहिक/पाक्षिक बैठक के समय अन्य विषयों यथा-विज्ञान, गणित के पाठ्यक्रम की पूर्ति की तरह आधारभूत विषयों के पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन की पूछताछ हो।
5. प्रवासी कार्यकर्त्ता/प्रान्तीय अधिकारी भी अपने प्रवास के समय इन विषयों की पूछताछ करें।
6. विषय प्रमुख इस हेतु प्रवास करें। जिस विद्यालय में विषय प्रमुख नियुक्त हैं, उस विद्यालय में वह सप्ताह में पाँच दिन में अपने विषय के पाठ्यक्रम को पूर्ण कर छठे दिन अपने क्षेत्र में प्रवास करें।

मैं सभी विद्या मन्दिरों के प्रधनाचार्यों एवं प्रबन्ध समिति के माननीय पदाधिकारियों व सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि आप सभी

इस पुस्तिका में प्रस्तुत विषयों के बिन्दुओं का स्वाध्याय कर अपने-अपने विद्यालयों में इन्हें लागू करें ताकि हम सभी विद्या भारती के लक्ष्य को यथाशीघ्र प्राप्त करने में सहायक बन सकें।

हेमचन्द्र
राष्ट्रीय मंत्री एवं संगठन मंत्री,
विद्या भारती उत्तर क्षेत्र,
नारायण भवन, गीता निकेतन परिसर,
कुरुक्षेत्र-136118 (हरियाणा)

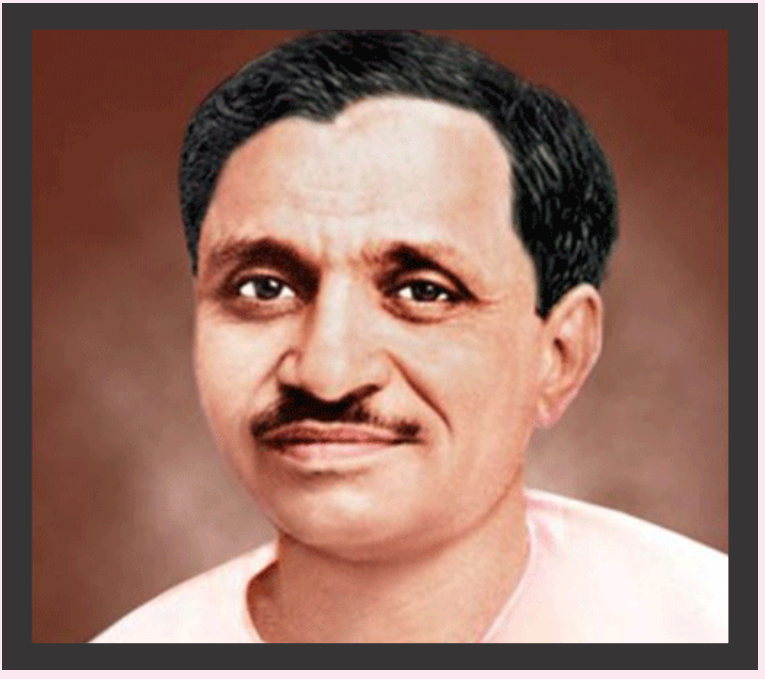

मा. भाई जी द्वारा मार्गदर्शन

हरिनगर, दिल्ली में 25 से 27 फरवरी, 2011 में आयोजित विभिन्न विषयों (पाँच आधारभूत विषय, विज्ञान, वैदिक गणित, कम्प्यूटर, उपेक्षित क्षेत्र की शिक्षा) की कार्य गोष्ठी के उद्घाटन के अवसर पर माननीय ब्रह्मदेव जी शर्मा (भाई जी) हम सबके सौभाग्य से उपस्थित रहे। अपने प्रेरणादायी मार्गदर्शन में माननीय भाई जी ने कहा था कि:

- नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा, यह पढ़ाने का नहीं बल्कि व्यवहार का विषय है।
- पाँच आधारभूत विषय एक-दूसरे के पूरक हैं।
- पाँचों विषयों के पाठ्यक्रम सबके पास हों।
- संकुल स्तर पर इन विषयों के आचार्यों की शिक्षण-प्रशिक्षण की योजना करनी होगी।
- विद्यालय स्तर पर सभी विषयों के आचार्यों की योजना करनी चाहिए।
- उन्हीं आचार्यों को विषयों का आबंटन करना, जिनकी रुचि विषय में हो एवं आचार्य विषय को अन्त:करण से स्वीकार करें।
- विज्ञान, वैदिक गणित व कम्प्यूटर तीनों विषय प्रयोग के साथ जुड़े हैं। तीनों विषयों की 8वीं कक्षा तक चलती-फिरती प्रयोगशाला विद्यालय में हो।
- हर विषय के क्रियान्वयन के साथ-साथ मूल्यांकन की पद्धति भी विकसित करनी चाहिए। विषय के साथ-साथ आचार्य व छात्रों का भी मूल्यांकन होना अपेक्षित है।
- प्रत्येक विषय के प्रमुख का प्रवास निश्चित हो।

मा. प्रकाश जी का मार्गदर्शन

तलवाड़ा (पंजाब) 07 से 09 मई, 2011 को विभिन्न विषयों (संस्कृति बोध परियोजना, शोध, विद्वत् परिषद्, बालिका शिक्षा, स्वदेशी, आचार्य प्रशिक्षण, पूर्वछात्र व ग्रामीण शिक्षा) की कार्यगोष्ठी के उद्घाटन में माननीय प्रकाश चन्द जी ने कहा था कि:

- ★ विषयों के क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक विषय की परिषदें बनें। क्षेत्र व प्रान्त स्तर पर समय-समय पर विषयों के क्रियान्वयन के लिए विचार-विमर्श हो व समीक्षा करें।
- ★ प्रारम्भ में लक्ष्य प्राप्ति हेतु आधारभूत विषयों के बारे में चिन्तन हुआ।
- ★ नगरों के बाद हमारा कार्य खण्ड स्तर तक, वनवासी क्षेत्र, ग्रामीण एवं उपेक्षित क्षेत्र तक कैसे जा सकता है? इस हेतु ग्रामीण, वनवासी व उपेक्षित क्षेत्र की शिक्षा के बारे में विचार हुआ।
- ★ प्राथमिक कक्षा के बाद की बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था के लिए बालिका शिक्षा की व्यवस्था कैसे हो? इसका चिन्तन भी प्रारम्भ हुआ-इस हेतु बालिका शिक्षा की व्यवस्था ठीक हो।
- ★ अनेक विद्वान लोगों को जो विभिन्न विषयों के तज्ञ हैं उन्हें अपने कार्य के साथ जोड़ना, उनके द्वारा शिक्षा में हमारा मार्गदर्शन हो।
- ★ शोध के द्वारा विभिन्न प्रकार का अपना मूल्यांकन हो, कुछ क्रिया शोध के प्रयोग हों। शोध प्रकोष्ठ प्रत्येक प्रान्त में खडे हों। आचार्यों तक शोध की वृत्ति कैसे जागृत हो? इसका प्रयास हो।
- ★ हमारी संस्कृति की जानकारी के लिए संस्कृति बोध परियोजना, संस्कृति ज्ञान परीक्षा के माध्यम से अन्य विद्यालयों व अभिभावकों को अपने साथ जोड़ना।

★ अपने कार्य के साथ पूर्व छात्रों को जोड़ना।

★ पूर्व छात्र, अभिभावक व समाज हमारे साथ जुड़ें इस हेतु हम विभिन्न प्रकार के प्रयोग इन विषयों के आधार पर कर सकते हैं। इन विषयों/आयामों के माध्यम से हम अपने विद्यालयों की पहचान कैसे बना सकते हैं? बालकों का सर्वांगीण विकास कैसे कर सकते हैं? इसका चिन्तन करते हुए अपने कार्य की समीक्षा करते हुए योजना बनाएँ।

शारीरिक शिक्षा - 1

- ★ प्रान्त टोली वर्ष में तीन बार बैठकर योजना बनाएगी और समीक्षा करेगी।
- ★ 10 मिनट का अनिवार्य शारीरिक कार्यक्रम वन्दना-सत्र में होगा।
- ★ प्रत्येक विद्या मन्दिर में शारीरिक पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाकर उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- ★ प्राथमिक कक्षाओं में 6 कालांश, माध्यमिक के लिए 3 कालांश तथा वरिष्ठ कक्षाओं के लिए 2 कालांश, 1 कालांश में 20 मिनट खेल, 15 मिनट समता एवं संचलन, 1 कालांश में एक दिन सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना।
- ★ शारीरिक क्षमता मापन वर्ष में दो बार करना। (कक्षा 3 से 12 तक)
- ★ व्यायाम एवं योग वन्दना-सत्र में प्रतिदिन करवाना।
- ★ प्रत्येक स्तर का शारीरिक प्रमुख मास में दो बार प्रवास करेगा।
- ★ विद्यालय तथा संकुल स्तर पर शारीरिक प्रमुख तय होंगे।
- ★ शारीरिक प्रमुख तथा खेल प्रमुख अलग-अलग होंगे।
- ★ कक्षा स्तर पर समता एवं संचलन की प्रतियोगिताएँ होंगी।
- ★ विद्या मन्दिर तथा संकुल स्तर पर सूर्यनमस्कार प्रतियोगिताएँ होंगी।
- ★ संकुल स्तर पर शारीरिक आचार्यों का दो मास में एक बार 5 घण्टे का नैपुण्य वर्ग करना।
- ★ प्रान्त स्तर पर शारीरिक आचार्यों का कम से कम तीन दिन का वर्ग प्रतिवर्ष करना।
- ★ वर्ष में एक **'सूर्य नमस्कार महायज्ञ सप्ताह'** का आयोजन करना।
- ★ सप्ताह में एक दिन व्यायाम योग का सामूहिक अभ्यास करवाना
- ★ सप्ताह में एक दिन समता का सामूहिक अभ्यास करवाना।
- ★ वर्ष में एक बार खेल दिवस, शारीरिक प्रदर्शन एवं साहसिक कार्यक्रम करना अपेक्षित हैं

योग शिक्षा - 2

1. वंदना सत्र में योगाधारित शिक्षा के बिन्दुओं का क्रियान्वयन किया जाए।
   - क) वंदना में आसन-वज्रासन व पद्मासन में 10-10 मिनट बैठने का अभ्यास।
   - ख) ब्रह्मनाद (दीर्घ श्वास फिर आरम्भ)
   - ग) ब्रह्मनाद के बाद मौन में दिव्य तरंगों की अनुभूति।
   - घ) वंदना आरम्भ से पूर्व-10 बार भस्त्रिका, 5 बार अनुलोम - विलोम, 3-बार भ्रामरी का अभ्यास भैया-बहिनों को कराना।
2. विद्यालय के प्रत्येक कालांश का आरम्भ ब्रह्मनाद/मौन/श्वास ध्यान से हो।
3. योग प्रमुख की टोली बनाकर त्रैमासिक बैठकें करें।
4. उषापान प्रात:काल पानी पीने की प्रेरणा।
5. कम से कम सप्ताह में एक बार वन्दना सत्र में 5 मिनट ध्यान का अभ्यास।
6. सप्ताह में दो कालांश देकर पाठ्यक्रम पूरा करना।
7. भैया एवं बहनों द्वारा घर पर नियमित करने योग्य आसन-खड़े होकर - ताड़ासन एवं ध्रुवासन, बैठकर-गोमुखासन एवं वज्रासन : **पेट के बल लेटकर** - सर्पासन एवं शलभासन, **पीठ के बल लेटकर** - उत्तानपाद आसन, पवनमुक्तासन, शवासन एवं **सूर्यनमस्कार 1-बार करना। आरम्भ में इन अभ्यासों के लिए प्रेरित करना।**
8. गीता के श्लोक अथवा योग-दर्शन के सूत्र (कम से कम एक) का नियमित पाठ एवं स्वाध्याय करें। इस हेतु प्रेरित करना।
9. प्रवास प्रत्येक स्तर (संकुल स्तर) तक का, योग प्रमुख का प्रवास मास में 2 बार करना।

संगीत शिक्षा - 3

1. दिल्ली, हिमाचल में टोली निर्मित है। जम्मू, हरियाणा एवं पंजाब में नई टोली (विभाग, संकुल स्तर) पर बनाई जाएगी।
2. सभी प्रांतों में प्रांत संगीत प्रमुख तथा सह प्रांत संगीत प्रमुख माह में कम से कम दो बार प्रवास करेंगे। (प्रांतानुसार दिन निश्चित कर दिए गए हैं)।
3. वंदना से पहले विद्यालय में आध्यात्मिक वातावरण हेतु ध्वनिमुद्रिका द्वारा देशभक्ति गीत, भजन, गीता के श्लोकों इत्यादि का वादन चलते रहना।
4. प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना के समय प्रधानाचार्य से लेकर सफाई कर्मचारी तक सभी उपस्थित रहेंगे तथा किसी अन्य प्रकार की गतिविधि, अतिरिक्त कालांश, किसी अन्य विषय (जैसे शारीरिक, नृत्य, योग इत्यादि) की तैयारी नहीं कराई जाएगी।
5. विद्यालय प्रार्थना में दीप-मंत्र, मातृ प्रणाम से लेकर मातृ प्रणाम तक प्रतिदिन, प्रातः स्मरण, एकात्मतास्तोत्रम्, हनुमान चालीसा, दोहावली, मानस चौपाइयाँ इत्यादि, सप्ताह के अनुसार कराए जा सकते हैं।
6. वार्षिक गीतों को प्रत्येक मास के अनुसार एक-एक करके करवाया जाना एवं कंठस्थ करवाना।
7. प्रत्येक प्रांत (अपने स्तर पर) वर्ष भर में दो या तीन संगीत अभ्यास वर्ग (विभाग, संकुल एवं विद्यालय संगीत प्रमुखों का) आयोजित करेंगे।
8. सभी प्रांतों में संगीत के दो कालांश उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
9. सभी प्रांतों में कम से कम एक संगीत केन्द्र स्थापित किया जाएगा।

जहाँ पर लगभग सभी प्रकार के वाद्य-यंत्र उपलब्ध हों।

10. हरियाणा प्रांत की तरह अन्य प्रांत भी विद्यालय में पढ़ने वाले भैया-बहनों का अभ्यास वर्ग कराएँगे।

11. दिल्ली प्रांत के द्वारा निर्देशिका पर आधारित केवल रागों की ध्वनिमुद्रिका निकाली जाएगी।

12. सभी प्रांत प्रमुख प्रवास के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रार्थना के समय बजने वाले वाद्ययंत्रों के ध्वनिवर्धक ज्यादा ऊँची आवाज में न रहें, ऐसा आग्रह उक्त विद्यालय के संगीत शिक्षक से करेंगे।

13. गीतों का भावार्थ एवं रागों का मन पर पड़ने वाला प्रभाव भी विद्यार्थियों को बताया जाएगा।

संस्कृतम् - 4

(क) विद्यार्थिनाम् कृते :-

1. प्रतिदिन पञ्चाङ्ग कथनानुकथनम् लेखनम् च। (युगाब्दः विक्रमी संवत्, ऋतुः, मासः, पक्षः, तिथिः, वासरः ईस्वीय सन, मासः, दिनाङ्कः) संख्यायाः कथनम् वामतः भविष्यति। उदाहरण - (2073 द्वि सहस्र त्रि सप्ततिः)
2. 'वदतु संस्कृतम्' षष्ठीतः अष्टमी पर्यन्तम् अभ्यासः भवतु।
3. सप्ताहे दिवसद्वयम् प्रार्थनासभायाः संचालनम् संस्कृतेन कार्यम्। (समाचार वाचनम्, सुभाषितम्, अमृतवचनम्, प्रेरकप्रसङ्गः, आज्ञा इत्यादयः अन्यत् किमपि)
4. प्रातः स्मरणम्, एकात्मतास्तोत्रम्, एकात्मता मन्त्रम्, वन्दना, दीपस्तुतिः एतेषां, कण्ठस्थिकरणम् भावार्थसहितम् भवतु।
5. संस्कृत-सप्ताहस्य आयोजनम् अनिवार्यम् विद्यालयस्तरे। (शुभाशय पत्रम् छात्राणां/अभिभावकानाम् कृते)
6. 'गीता जयन्ती' आयोजनम् विद्यालय स्तरे भवतु।
7. 'संस्कृति ज्ञान प्रश्नमञ्चेन' सह 'संस्कृतप्रश्नमञ्चः' अपि भवतु। (विद्यालय, संकुल, जिला, विभाग, प्रान्त एवं क्षेत्रीय स्तरे)

(ख) आचार्याणाम् कृते

8. 'सम्भाषण सन्देशः' प्रति विद्यालये स्वीकरणीयम्।
9. वन्दना सभायाम् जन्मदिवस अवसरे आशीर्वचनम् मन्त्र माध्यमेन भवतु।
10. अध्यापनं संस्कृत-माध्यमेन भवतु एतदर्थं प्रशिक्षणवर्गस्य आयोजनम् प्रान्तस्तरे। विभाग स्तरे। संकुलस्तरे भवतु अन्यच्च संस्कृत शिक्षकाणां 'नैपुण्य वर्गः' क्षेत्र स्तरे भवतु इति।
11. संस्कृत शिक्षणे नवाचारस्य प्रयोगः यथा दृश्यश्रव्यसामग्रीणाम्

उपयोगः सहपाठ्य सामग्रीणाम् निर्माणम् उपयोगं च।

(ग) प्रान्त/विभाग/जिला/संकुल प्रमुखाणां कृते

12. विभाग/जिला/संकुल पर्यन्तं विषय प्रमुखाणां वर्षे द्वि वारम् उपवेशनम्।

13. प्रान्त संस्कृतप्रमुखाणां प्रवासः विभाग स्तरे। संकुल स्तरे भवतु (न्यूनातिन्यूनम् वर्षे एकवारम्)

14. यस्मिन् प्रान्ते 'प्रान्त संस्कृत केन्द्रं' इति कार्यशीलम् नास्ति तत्र अस्मिन् वर्षे भवतु।

(घ) संस्कृतेतर आचार्याणां एवं अभिभावकानाम् कृते

15. विद्यालयस्य वार्षिकोत्सवे एवं अन्य कार्यक्रमेषु च आवर्षे न्यूनातिन्यूनम् एकः कार्यक्रमः।

(ङ) जन्मदिवसस्य आशीर्वचनाय मन्त्राः अथवा श्लोकाः

(1.) विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव।
यद्भद्रं तन्न आसुव।।

(2.) यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते।
तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु।।

(3.) तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्।
पश्येम शरदःशतम्, जीवेम शरदः शतम्, शृणुयाम शरदः शतम्
प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतम् भूयश्च शरदः शतात्।।

(4.) मेधावी देशसेवी च दीनानां दुःख नाशकः।
चिरायुः राष्ट्रभक्तश्च मातृभक्तश्च बालकः।
भूयात् परोपकारी च पूज्यानां पूजकः सदा।
विद्वान् धनी च योगी च यशस्वी कुलदीपकः।।
(उपरि लिखितेषु के अपि द्वे आशीर्वचनाय अलम्)

नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा - 5

1. विद्यालयों में नैतिक एवं आध्यात्मिक विषय का विषय प्रमुख आचार्य निश्चित करना।
2. पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन कक्षाचार्य के द्वारा पूर्ण करना।
3. विद्यालय में प्रतिदिन तिलक लगाने की व्यवस्था करवाना।
4. प्रत्येक विद्यालय द्वारा विद्यालय-परिवार के घरों में तुलसी का पौधा लगवाने की व्यवस्था करवाएँ।
5. जन्मदिन पर वंदना सत्र में सम्बन्धित छात्रों से दीप प्रज्ज्वलन करवाकर बधाई संदेश या प्रेरणा के रूप में भेंट की व्यवस्था की जाए।
6. विद्यालय में नैतिक एवं आध्यात्मिक वातावरण तैयार करने के लिए स्वच्छता, साज-सज्जा, वंदना का स्वरूप, आचार्यों का आपसी वार्तालाप ठीक करवाने का प्रयास करना।
7. देश-दर्शन, देव-दर्शन में महान पुरुषों के स्मारक, बलिदान की भूमि पर ले जाना एवं जानकारी देना। जैसे हल्दी घाटी, जलियांवाला बाग, सरहिंद, कृष्ण-जन्मभूमि, श्रीराम जन्म भूमि, काशी विश्वनाथ इत्यादि।

विद्या भारती उत्तर क्षेत्र द्वारा निर्धारित घर पर :

8. अनिवार्य करणीय बिन्दुओं की लगातार पूछताछ करना।
9. सेवा बस्ती एवं संवेदनशील क्षेत्रों का दर्शन करवाना।
10. अप्रैल से मार्च तक जयन्तियों में छात्रों, आचार्यों एवं अभिभावकों को सहभागी बनाना।
11. विद्यालयशः परिवार प्रबोधन के कार्यक्रम करवाना।
12. कक्षाकक्ष का वातावरण, स्वास्थ्य रक्षण चार्ट, साहसी बालकों के चित्र, महापुरुषों के चित्र, वर्तमान साहसी बालकों एवं व्यक्तियों के चित्र लगाना।
13. पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले आचार्यों का प्रशिक्षण वर्ग संकुलशः एवं विभागानुसार लगाने की योजना बनाना।

संस्कृति बोध परियोजना - 6

1. प्रान्त के सभी विद्यालयों के चतुर्थ से द्वादश तक के भैया/बहिन संस्कृति ज्ञान परीक्षा में अनिवार्य रूप से बैठें।
2. प्रत्येक विद्यालय द्वारा अन्य दो विद्यालयों को जोड़ना। इसमें राजकीय विद्यालयों को भी सम्पर्क करने का प्रयास रहे।
3. संस्कृति ज्ञान प्रश्नमंच के लिए विद्यालय में कक्षा-स्तर पर ध्यान देना सुनिश्चित किया जाए। यहीं से प्रतियोगिता प्रारम्भ होकर अगले चरण में प्रवेश करें।
4. निबन्ध प्रतियोगिता में वर्गानुसार सभी भैया/बहिन बैठें।
5. विद्यालय के आचार्य संस्कृति ज्ञान परीक्षा एवं निबन्ध प्रतियोगिता में अनिवार्य रूप से बैठें। प्रत्येक प्रान्त अपनी योजना करे। आचार्य पत्र वाचन में भी प्रत्येक प्रान्त की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाए।
6. संस्कार केन्द्र के भैया/बहिन संस्कृति प्रवाह का अध्ययन करें। इसकी परीक्षा व प्रश्नमंच करवाया जाए।
7. संस्कृति ज्ञान परीक्षा के अध्यापन की व्यवस्था प्रत्येक विद्यालय अपनी योजनानुसार करे।
8. प्रश्नमंच में प्रान्त/विभाग/जिला/संकुल स्तर पर यथासम्भव प्रोजेक्ट (पी.पी.टी.) का प्रयोग करें।

संगठनात्मक व्यवस्था :

9. संगठनात्मक संरचना में विद्यालय स्तर तक संस्कृति बोध परियोजना के प्रमुख/सह प्रमुख तय किए जाएँ। उनका कार्य विभाजन सुनिश्चित किया जाए।

प्रवास व बैठकें :

10. प्रान्त स्तर पर विभाग/संकुल की बैठकें वर्ष में तीन बार अपेक्षित हैं। प्रान्त की प्रथम बैठक में क्षेत्रीय प्रमुख का रहना अपेक्षित रहेगा। क्षेत्रीय स्तर पर दो बैठकें रहेंगी। जिसमें प्रान्त/सह प्रमुख की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी।
11. चित्रमाला के नवीन चित्र, हिन्दू संस्कृति दर्शन कार्ड व जीवन विकास के खेल विद्यालयों में रखना अपेक्षित हैं।

पूर्व छात्र परिषद् - 7

संगठनात्मकः

1. विद्यालय इकाई का गठन जिसमें अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष एवम् दो सदस्य। कुल पाँच की टोली होगी।
2. एक आचार्य विद्यालय में पूर्व छात्र परिषद् का संयोजक एवम् प्रधानाचार्य संरक्षक रहेगा विद्यालय प्रमुख-सक्रिय पूर्वछात्र होगा।
3. संकुल टोली
   1. संकुल प्रमुख (सक्रिय पूर्व छात्र)
   2. संकुल संयोजक (वरिष्ठ आचार्य/प्रधानाचार्य /समिति सदस्य)
4. विभाग टोली
   1. विभाग प्रमुख (सक्रिय पूर्व छात्र)
   2. विभाग संयोजक (वरिष्ठ आचार्य /प्रधानाचार्य/समिति का सक्रिय सदस्य टोली के प्रमुख एवं संयोजक विभाग सदस्य लिए जाएँ)।
5. प्रान्त टोली
   1. प्रान्त प्रमुख (सक्रिय पूर्व छात्र)
   2. प्रान्त संयोजक (वरिष्ठ आचार्य/प्रधानाचार्य एवं विभाग टोली के प्रमुख एवम् संयोजक प्रान्त टोली के सदस्य होंगे)।
6. विद्यालय की स्थानीय समिति में पूर्व छात्र परिषद् में से कम से कम एक सक्रिय छात्र को अवश्य रखा जाए।
7. विद्यालय स्तर पर पूर्व छात्र परिषद् के अध्यक्ष एवम् मन्त्री की जानकारी प्रान्त प्रमुख एवम् संयोजक को अवश्य भेजें।
8. जिस विद्यार्थी ने कम से कम दो वर्ष अपने विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की हो वह विद्यालय की पूर्व छात्र टोली में आ सकेगा।

सम्पर्क सूत्र :

1. विद्यार्थी के विद्यालय छोड़ने से पूर्व एक फार्म भरवाएँ जिसमें उसके घर, माता-पिता की जानकारी उपलब्ध हो, साथ ही

सदस्यता शुल्क लिया जाए। पूर्व छात्र परिषद् का खाता अलग से खोला जाए। जिसके संचालन में प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर अनिवार्य एवम् अध्यक्ष, सचिव में से एक के हस्ताक्षर से धन निकाला जा सके।

2. वर्ष प्रतिपदा/नववर्ष का शुभ संदेश भेजना, दीपावली पर शुभ सन्देश भेजना, वार्षिकोत्सव पर आमन्त्रित करना। छात्र के जन्मदिन पर शुभकामना भेजना।

3. विद्यालय कार्यक्रम में कभी-कभी मुख्यातिथि, अध्यक्ष अथवा व्यवस्था प्रमुख के रूप में सहयोग लेना।

आगामी योजना :

1. वैबसाईट विद्यालय एवम् प्रान्त स्तर पर हों।

2. प्रान्त पंचांग में पूर्व छात्र हेतु विद्यालय स्तर पर कार्यक्रम निश्चित हों :

- स्वरोजगार युक्त स्थापित पूर्व छात्रों का कार्यक्रम।
- कर्मचारी पूर्व छात्रों का कार्यक्रम।
- अध्ययनरत पूर्व छात्रों का कार्यक्रम।

बैठकें :

- क्षेत्रीय स्तर पर वर्ष में एक बार, प्रान्त, क्षेत्र के प्रमुख एवं संयोजक भाग लेंगे।
- प्रान्त स्तर पर वर्ष में तीन बार, विभाग, प्रान्त के प्रमुख एवं संयोजक भाग लेंगे।
- विभाग स्तर पर वर्ष में तीन बार, संकुल, विभाग के प्रमुख एवं संयोजक भाग लेंगे।
- संकुल स्तर पर वर्ष में दो बार, संकुल के प्रमुख एवं संयोजक तथा विद्यालयों के प्रमुख एवं संयोजक भाग लेंगे।

शोध - 8

1. प्रान्तीय टोली बनाना और उसको सक्रिय करना।
2. पंजाब प्रान्त में विभाग तथा संकुल स्तर पर तथा हिमाचल प्रदेश व जम्मू-कश्मीर में जिला स्तर व संकुल स्तर पर प्रमुख तय करना।
3. प्रान्त व विभाग की टोली की वर्ष में तीन बार बैठकें होंगी।
4. सबसे पहले पंजाब में 10 विद्यालयों को चयनित करके उनमें प्रवास करके क्रिया शोध विषय को लागू किया जाएगा। इसके लिए पंजाब प्रमुख ने पंजाब में 10 विद्यालयों को, जम्मू कश्मीर ने 6 विद्यालयों को तथा हिमाचल प्रदेश ने 5 विद्यालयों को चयनित किया है।
5. वर्ष में दो बार अभ्यास वर्ग लगाने हैं। एक नवम्बर एवं दूसरा मई मास में।
6. प्रान्त प्रमुख इन विद्यालयों में 3 महीने में एक बार प्रवास करेंगे।
7. शोध पुस्तकें कुरुक्षेत्र से मंगवाकर इन विद्यालयों में भेजी जाएँगी।
8. लखनऊ से प्रकाशित शोध-पत्रिका सभी उच्च और उच्चतर विद्यालयों में लगवाई जाएगी।
9. ब्रह्मनाद का विद्यार्थियों की मानसिकता, अवधान एवं अभिप्रेरणा सम्बन्धी प्रभाव के लिए शोध करने का लक्ष्य निर्धारित हुआ।
10. इस वर्ष के लिए सुलेख सुधार प्रकल्प पर शोध करने का लक्ष्य रखा गया।
11. शोध पर कुछ विषय तय करके चयनित विद्यालयों को दिए जाएँ और उनसे शोध क्रिया करवाई जाएँ।
12. शोध से सम्बन्धित कुछ कार्य प्रत्येक विद्यालय में चलते रहते हैं, इनको संकलित करके विद्यालयों में भेजा जाए, जिससे अन्य विद्यालय भी लाभ प्राप्त कर सकें।
13. ब्रह्मनाद विद्यालयों में चलता रहता है, इस पर शोध करके परिणाम देखना।

विद्वत् परिषद् - 9

- प्रान्त और संकुल स्तर पर टोली बनाई जाए।
- नियमित बैठकें करके उनको सक्रिय किया जाएगा।
- बैठकों का आयोजन त्रैमासिक किया जाएगा।
- प्राथमिक शिक्षा का माध्यम मातृ-भाषा में हो, इस विषय पर विद्यालय स्तर पर गोष्ठी करवाई जाएगी।
- बच्चों के विकास में आचार्य व अभिभावकों की भूमिका विषय पर गोष्ठी करवाई जाएगी।
- प्रान्त प्रमुख वर्ष में कम से कम चार बार प्रवास करेंगे।
- किसी भी ज्वलंत विषय पर चर्चा/परिचर्चा करना।
- विद्वत् परिषद् द्वारा वर्ष में कम से कम 2 गोष्ठी अपने-अपने स्तर पर अवश्य करना।

स्वदेशी - 10

1. **प्रान्तीय परिषद् का गठन :**

इसमें प्रान्त समिति प्रतिनिधि, प्रान्त प्रमुख, प्रान्त सह-प्रमुख व विभागों/संकुलों के प्रमुख रहेंगे व वर्ष में 3 बैठकें अप्रैल, अगस्त व दिसम्बर में निश्चित की गई हैं।

2. **संकुल/विभागों के स्तर पर गठन :**

अगस्त मास तक अगर पुनर्गठन आवश्यक है तो कर लिया जाए, जिससे अगस्त मास के अन्त की बैठक सुचारू रूप से हो जाए और स्वदेशी कार्यक्रमों को गति मिल जाए। प्रत्येक विद्यालय में एक बार स्वदेशी दिवस मनाया जाए, जिससे प्रार्थना सभा में चर्चा/प्रसंग/कहानी इत्यादि से स्वदेशी का प्रचार हो। प्रत्येक विद्यालय प्रमुखता से इसका दायित्व लें।

3. **स्वदेशी पत्रिका :**

हर विद्यालय में स्वदेशी पत्रिका का आना निश्चित किया जाए, सभी प्रान्त प्रमुख आगामी बैठक में कुल विद्या मन्दिरों की संख्या जिसमें पत्रिका आ रही है, उनकी संख्या ले कर आएँ।

4. **स्वदेशी सप्ताह मनाना :**

प्रति वर्ष 25 सितम्बर से 2 अक्तूबर तक मनाया जाता है लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए इसे पखवाड़े के रूप में भी मनाया जा सकता है और इसे 9 अक्तूबर तक बढ़ाया जा सकता है लेकिन इसकी शुरुआत 25 सितम्बर से हो जाए, ऐसा सुनिश्चित करें। स्वदेशी सप्ताह से पहले विद्या भारती उत्तर क्षेत्र से प्राप्त होने वाली पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए। इसके लिए अगस्त के अन्तिम सप्ताह तक अपनी प्रान्त समितियों की संख्या

(पुस्तकों की) अवश्य भिजवा दी जाए। प्रदर्शनी हर विद्यालय के पास अपनी हो।

5. स्वदेशी वस्तु बोर्ड :

प्रत्येक विद्यालय में स्वदेशी/देशी वस्तुओं व विदेशी वस्तुओं का बोर्ड अवश्य हो और इसमें उस स्थान विशेष की प्रमुख वस्तुओं की सूची भी अवश्य हो।

6. प्रवास :

प्रान्त प्रमुख व सह प्रमुख मास में एक प्रवास अवश्य करें। इनका प्रवास विभाग/संकुल स्तर पर हो व संकुल प्रमुखों का प्रवास विद्यालयशः हो।

7. स्वदेशी दिवस मनाना :

बाबू गेनू बलिदान दिवस 12 दिसम्बर को मनाना। विद्यालय वन्दना में चित्र लगाकर पुष्पार्चन व बाबू गेनू का संक्षिप्त जीवन-परिचय उनके बलिदान सहित दिया जाए। ठेंगड़ी जी का जन्म दिवस 10 नवम्बर को मनाना। संकुल स्तर पर विभिन्न आर्थिक विषयों पर गोष्ठी द्वारा ज्वलंत विषयों पर आचार्य भैया-बहिनों के बीच स्वदेशी की प्रासंगिकता को लाया जाए।

8. चाइनीज वस्तुओं को छोड़ने का आग्रह :

विद्यार्थियों व आचार्य भैया/बहिनों को चाइनीज वस्तुएँ छोड़ने का आग्रह किया जाए। प्रत्येक भारतीय त्योहार में चाइनीज वस्तुओं के बारे में समय-समय पर चर्चा करके चाइनीज वस्तुओं की होली जलाना आदि कार्यक्रम किए जाएँ।

9. पाँच मुख्य बातों पर आग्रह :

(1.) लिम्का, पेप्सी, कोका कोला आदि पेय पदार्थों का त्याग

करना।

(2.) कोलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट टूथ पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना।

(3.) लक्स, लिरिल, लाईफबॉय, डव, डिटोल आदि साबुन का इस्तेमाल नहीं करना।

(4.) चाइनीज सामान का इस्तेमाल न करना।

(5.) स्वदेशी संस्कृति जैसे जन्मदिन भारतीय पद्धति से, निमन्त्रण पत्र व हस्ताक्षर मातृ-भाषा में आदि का पालन करना।

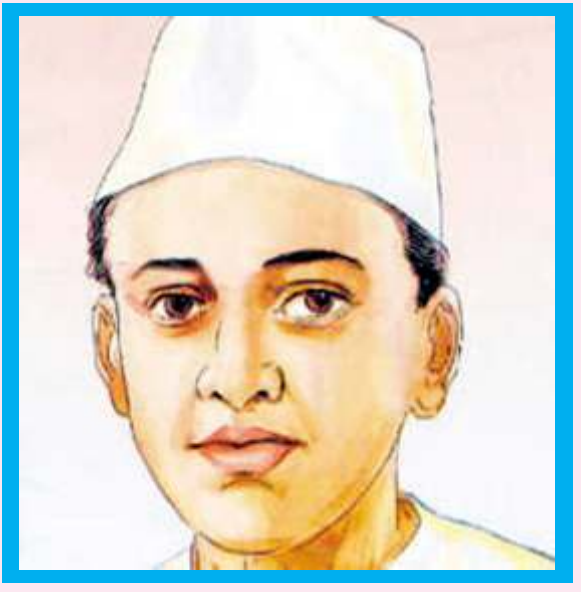

ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा - 11

ग्रामीण शिक्षा टोली द्वारा तय 6 (1. साक्षरता, 2. संस्कृति, 3. सामाजिक समरस्ता, 4. स्वास्थ्य, 5. स्वदेशी 6. स्वावलम्बन) आयामों के आधार पर योजना बनाई जाएगी।

(1.) प्रत्येक माध्यमिक व उच्च विद्यालय में नया सत्र प्रारम्भ होने से पहले अपने गाँव के आस-पास में 02 से 05 गाँव चयन करेंगे।

(2.) गाँव में सर्वे करके निरक्षर व्यक्तियों की सूची तैयार कर गाँव में साक्षरता केन्द्र चलाना।

(3.) विद्यालय के आचार्य तथा बालकों की सहायता से निश्चित किए गए प्रत्येक गाँव में महिला एवं पुरुषों को साक्षर करवाएँ।

संस्कृति

(1.) विद्यालय में दैनन्दिनी में दिए गए 10 बिन्दुओं को बच्चों के स्वभाव में लाना।

(2.) विद्यालय में पर्व (श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रक्षाबन्धन आदि मनाना और ग्रामीण लोगों को विद्यालय में आमंत्रित करना। गाँव में मनाए जाने वाले पर्व, उत्सव, जयन्ती आदि में विद्यालय की सहभागिता करवाना (जल सेवा, झांकियों के निर्माण में सहयोग, यातायात व्यवस्था, स्वच्छता आदि)

स्वास्थ्य

(1.) बच्चों को खान-पान, व्यायाम, योगासनों के बारे में प्रेरित करना।

(2.) मौसम अनुसार फल-सब्जियों के प्रयोग के बारे में प्रेरित करना।

(3.) फॉस्ट फूड़ हानिकारक हैं, इसके बारे में जानकारी देना।

(4.) स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करना और स्वस्थ शिशु सम्मेलन करना।

(5.) विद्यालय में वर्ष में न्यूनतम दो बार डॉक्टर से भैया-बहिनों का स्वास्थ्य निरीक्षण करवाना।

(6.) विद्यालय की तथा भैया-बहिनों की दैनिक स्वच्छता का निरीक्षण करवाना।

सामाजिक समरसता

(1.) एक गाँव में 1 मंदिर, 1 कुँआ, जल संसाधन, 1 श्मशान योजना को लागू करवाने का प्रयास करना।

(2.) विद्यालय के कार्यक्रमों में गाँव के लोगों को बुलाना व उनके कार्यक्रमों में शामिल होना।

(3.) संस्कार केन्द्र के माध्यम से एक भाव, एकता व समानता का भाव पैदा करना।

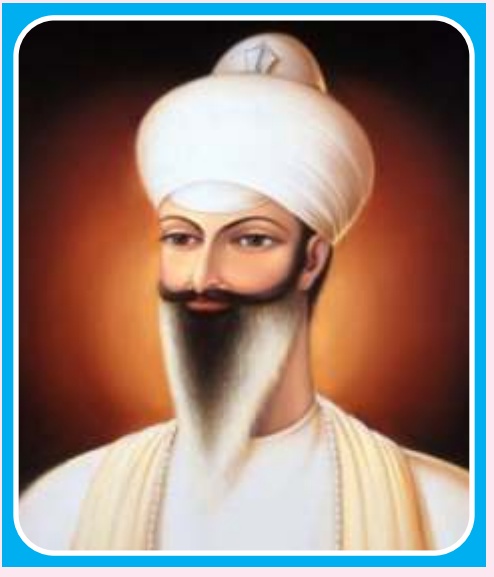

कम्प्यूटर - 12

1. विद्यालय में कम से कम 5 system जिनमें Networking तथा Internet सुविधा हो।
2. 1 KV का 1-1 UPS सभी computers के साथ।
3. कम से कम 5000 SMS package का प्लान जिससे छात्रों व अभिभावकों को SMS से सूचना भेजी जा सके।
4. Social Media में अपने विद्यालय का प्रचार-प्रसार करने के लिए एक page facebook पर होना चाहिए जिससे कि विद्यालय की सभी गतिविधियों को अन्य अभिभावकों व छात्रों को photo व अन्य जानकारियाँ दी जा सकें।
5. अपने विद्यालय की website व E-mail-ID अवश्य हो।
6. अधिक से अधिक सूचनाएँ Email के द्वारा भेजी जा सकें।
7. आजकल Whatsapp का अधिक प्रयोग होता है, इसलिए आचार्य का तथा विद्यालय का एक whatsapp group होना चाहिए जिससे कि जानकारी तुरन्त पहुँचाई जा सके। इसलिए प्रत्येक आचार्य के पास Smartphone होना चाहिए।
8. वर्ष में कम से कम 1बार ICT के प्रयोग व प्रचार-प्रसार की दृष्टि से 1 workshop अवश्य करें।
9. Computer Teachers का समयानुसार उत्साहवर्धन करना चाहिए।
10. वर्तमान में जो Books व Time Table वे पर्याप्त हैं। उसमें परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। यह अपने-अपने विद्यालयानुसार हो सकते हैं।
11. वर्ष में 2 बार संकुल प्रमुख बैठकर क्रियान्वयन की योजना तथा उसका मूल्यांकन करें। इसी प्रकार प्रान्त प्रमुख भी अगर वर्ष में 2 बार बैठक कर मूल्यांकन कर सकें तो अच्छा है।

विज्ञान - 13

1. पहली से पाँचवीं की कक्षा में क्रियात्मक शिक्षण पर अत्यधिक जोर देना।
2. प्रांत स्तर पर एक विज्ञान केन्द्र स्थापित करना और इसमें सभी सुविधाएँ विकसित करना।
3. छात्र द्वारा विज्ञान की जानकारी एक कॉपी में एकत्र कर उस पर प्रतियोगिता का आयोजन करना।
4. विज्ञान भ्रमण पर छात्रों को ले जाना।
5. विज्ञान विषय में 100% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को एवं आचार्यों को विद्या भारती सम्मानित करे।
6. विज्ञान से संबंधित जानकारी प्रार्थना सभा में प्रदान करना (समाचार अनुसार) तथा विज्ञान विषय पर सप्ताह में एक प्रश्न पूछना।
7. विज्ञान संबंधी नवीनतम जानकारी नोटिस-बोर्ड (सूचना-पट) पर लगवाना। इससे छात्रों की रुचि विज्ञान में बढ़ेगी।
8. प्रयोगात्मक शैली का प्रयोग सभी कक्षाओं में करने का प्रयास करें। ऐसी अपेक्षा है।
9. आचार्य प्रशिक्षण की योजना करना।
10. प्रत्येक विद्यालय में विज्ञान मेला आयोजित करना।

सेवा क्षेत्र की शिक्षा - 14

1. प्रान्त, विभाग/जिला एवं संकुल स्तर पर टोली गठन करना एवं वर्ष में 3 बैठकें करना।
2. विद्यालय टोली बैठकें नियमित हों।
3. वार्षिक उत्सव प्रत्येक संस्कार केन्द्र में हो।
4. दो महापुरुषों की जयंतियाँ सभी केन्द्रों पर मनाई जाएँ।
5. प्रशिक्षण : प्रान्त, विभाग/जिला, संकुल टोली का 2 रात्रि 3 दिन का प्रशिक्षण। संस्कार केन्द्र संचालिकाओं का आधार वर्ग 7 दिन का हो। अभ्यास वर्ग संकुल स्तर पर मासिक हो।
6. सांस्कृतिक कार्यक्रम : सहभोज, खेलकूद, संस्कार केन्द्र व विद्यालय के भैया-बहिनों के साथ-साथ हों।
7. संस्कृति ज्ञान परीक्षा सभी केन्द्रों पर आयोजित करें।
8. समर्पण कार्यक्रम सभी केन्द्रों पर हों।
9. अभिभावक बैठकें वर्ष में दो बार केन्द्र स्तर पर हों।
10. बस्ती सर्वेक्षण सभी केन्द्रों के द्वारा करना।
11. संस्कार केन्द्र दर्शन, समाज के प्रतिष्ठित लोगों को दिखाना, यह कार्य **'वर्ष में कम से कम एक बार'** करना।

प्रशिक्षण - 15

1. प्रांत, विभाग/संकुल, विद्यालय प्रमुख तय करना।
2. प्रांतीय टोली का निर्माण।
3. वर्ष में प्रान्तीय टोली की बैठकें तीन बार करना।
4. मासिक दक्षता वर्ग प्रत्येक विद्यालय में हों। वर्ष में छः से आठ के मध्य दक्षता वर्ग अनिवार्य हों।
5. क) प्रवासी कार्यकर्त्ताओं का प्रशिक्षण वर्ष में एक बार।
   ख) दक्षता प्रमुखों का अभ्यास वर्ग वर्ष में एक बार।
6. प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च में प्रत्येक विषय में पंचपदी शिक्षण पद्धति पर आधारित शिक्षण हेतु शिक्षक तैयार करना। प्रत्येक विद्यालय में एक आचार्य निश्चित रूप से पंचपदी के आधार पर शिक्षण करें।
7. प्रशिक्षण की रचना करते समय निम्न बिंदुओं पर ध्यान देंगे।
   क) विद्या भारती का लक्ष्य और उसे प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम।
   ख) विद्या भारती कार्य योजना के विषयों को ध्यान में रखना।
   ग) क्रियात्मक शोध।
   घ) निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण।
   ङ) प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देना।
   च) प्रांत के प्रमुख पदाधिकारियों की प्रशिक्षण में अधिकतम सहभागिता।
   छ) विद्यालय व संकुल स्तर पर अधिकतम प्रशिक्षण हों व प्रान्त स्तर पर प्रशिक्षकों का अनिवार्य प्रशिक्षण हो।
8. विद्यालय की प्रबंध समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण वर्ष में एक दिवसीय व प्रबंधक व अध्यक्षों का दो दिवसीय प्रशिक्षण अनिवार्य है।
9. संकुल स्तर पर प्रत्येक विषय का न्यूनतम तीन दिवसीय प्रशिक्षण वर्ष में एक बार अवश्य हो।
10. लिपिक व कर्मचारी भैया-बहिनों का कम से कम दो दिवसीय प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से हो।

11. छात्रों के विकास में अभिभावकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण अवश्य हो।
12. प्रशिक्षण वर्गों का पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित हो।
13. क्षेत्र-प्रमुख वर्ष में एक बार टोली बैठक में और प्रशिक्षण वर्गों की योजना बैठक में प्रत्येक प्रान्त में एक बार अवश्य प्रवास करें।
14. प्रांत प्रमुख मास में दो बार योजना बनवाने हेतु प्रवास करें।
15. नव निर्वाचित/नियुक्ति से पूर्व 15 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग।
16. प्रधानाचार्य वर्ग दिल्ली में 7 दिवसीय व पंजाब, हरियाणा में न्यूनतम 2 दिवसीय हो।
17. संभावित/नवनिर्वाचित प्रधानाचार्यों का 15 दिवसीय वर्ग।
18. प्रशिक्षण कार्य के लिए विषय विशेषज्ञ एवं संसाधन युक्त व्यक्ति (Resource Person) ढूँढना व उपयोग करना। सूची बनाना।
    कुछ आचार्यों को भी विशेषज्ञ एवं संसाधन युक्त व्यक्ति (Resource Person) के रूप में विकसित करना।
19. प्रत्येक प्रांत में कुछ विद्यालय ऐसे निर्धारित करना जहाँ प्रत्येक वर्ग का प्रशिक्षण होगा।
20. प्रत्येक आचार्य की आधारभूत विषयों की प्रशिक्षण व्यवस्था।
21. (1) विद्यालयश: प्रबंध कार्यकारिणी का प्रति तीन माह में दो घंटे का प्रशिक्षण। (2) विद्यालय प्रबंध पदाधिकारियों का वर्ष में एक बार प्रांतश:/संकुलश: एक दिवसीय प्रशिक्षण। (3) प्रांत प्रबंध टोली का 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण वर्ग।
22. प्रशिक्षण संबंधी साहित्य का केन्द्र (सितम्बर अंत तक प्रक्रिया प्रारम्भ)
23. आगामी 5 वर्षों में प्रांत में एक प्रशिक्षण केन्द्र बनाना।
24. साहित्य (प्रशिक्षण संबंधी) निर्माण व संग्रह के लिए चिंतन टोली गठन।
25. प्रांत प्रमुख व प्रांत प्रभारी (प्रशिक्षण) एक माह में एक बार बैठक, न्यूनतम वर्ष में छ: बार।
26. प्रशिक्षण कार्यों की मूल्यांकन व्यवस्था।
27. विभिन्न वर्गों/स्तर हेतु पाठ्यक्रम निर्माण।

बालिका शिक्षा - 16

1. विद्यालय में बालिकाओं का एक दिवसीय शिविर करना। इसका पाठ्यक्रम प्रत्येक विद्यालय तक पहुँचाना।
2. पर्वों से पूर्व पर्वों का प्रबोधन प्रत्येक विद्यालय में करना। पारम्परिक विशेषताओं पर बल देकर पर्वों की भव्यता आडम्बरहीन तरीके से मनाने की योजना।
3. बालिकाओं को संध्या वन्दन हेतु प्रेरणा, मातृशक्ति के दिशा-निर्देश में करना।
4. बालिका शिक्षा कक्ष में बालिकोपयोगी साहित्य संग्रह करना जिसमें महान नारियों के चरित्र सम्बन्धी, पाक-शास्त्र, साज-सज्जा एवं परिधान (भारतीय परपंरागत) इत्यादि का संग्रह करना।
5. प्रत्येक प्रान्त कक्षा षष्ठी से सलवार-कमीज का विद्यालय वेश निर्धारण करें।

प्रधानाचार्य आधारित विषय

1. बालिकाओं में शुचिता, स्वच्छता के प्रति जागरूकता।
2. 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ'।
3. कन्या भारती और मातृ भारती को विशेष रुप से सक्रिय करने का विशेष प्रयास रहेगा।
4. किशोरावस्था में आने वाले परिवर्तन पर चर्चा।
5. भारतीय परिवार की संकल्पना की जानकारी।
6. शालीनता का महत्त्व बताना।

शिशुवाटिका - 17

क्षेत्रीय/प्रांतीय टोली हेतु

1. संगठनात्मक रचना (क्षेत्र/प्रांत/विभाग/संकुल/जिला आदि) पूर्ण करना।
2. प्रांतशः निश्चित की गई 25 शिशुवाटिकाओं (प्रति प्रांत पाँच) को प्रभावी शिशुवाटिका बनाना।
3. प्रांतशः निश्चित की गई 5 शिशुवाटिकाओं (प्रति प्रांत एक) में 'शिशु विकास परामर्श' केन्द्र खोलना। प्रांत अपनी सुविधानुसार 4 से 5 वर्ष के शिशुओं की माताओं के पाठ्यक्रम को गति प्रदान करेंगे।
4. शिशु वाचनमाला का उपयोग न्यूनतम रूप से 'प्रभावी शिशुवाटिकाओं' में अवश्य किया जाएगा। अन्य में भी उपयोग का आग्रह रहेगा।
5. चयनित शिशुवाटिकाओं के अतिरिक्त, अन्य प्रांतीय शिशुवाटिकाओं में भी न्यूनतम आठ शैक्षिक व्यवस्थाओं (चित्र-पुस्तकालय, विज्ञान-प्रयोगशाला, कलाशाला, कार्यशाला, रंगमंच, बागवानी, तरणताल, क्रीड़ांगण) के निर्माण का प्रयास करना।

वैदिक गणित - 18

1. प्रथम कक्षा से वैदिक गणित पढ़ाया जाएगा।
   इसका पाठ्यक्रम सभी प्रान्त प्रमुखों को 31 मार्च तक भेज दिया जाएगा।
2. वैदिक गणित की पुस्तकें सभी विद्यालयों में सभी बच्चों के पास रहें।
3. प्रान्त टोली बैठक वर्ष में 2 बार अवश्य हो।
4. प्रान्त स्तर पर एक गोष्ठी का आयोजन किया जाए जिसमें गणितज्ञों को आमन्त्रित किया जाए।
5. प्रशिक्षण वर्ग प्रान्त में प्रत्येक वर्ष करना।
6. प्रान्त स्तर पर शोध कार्य किया जाए।
7. संकुल स्तर पर वैदिक गणित प्रमुख तय करना।
8. प्रान्तों की प्रश्नमंच प्रतियोगिता की सहभागिता सुनिश्चित की जाए।
9. वैदिक गणित विषय प्रमुख मास में एक बार अवश्य किसी अन्य विद्यालय में प्रवास करें।

एक आदर्श की आवश्यकता

आदर्श हमसे बहुत दूर हैं और हम उनसे बहुत नीचे पड़े हुए हैं, तथापि हम जानते हैं कि हमें एक आदर्श अपने सामने रखना आवश्यक है। इतना ही नहीं, हमें सर्वोच्च आदर्श रखना आवश्यक है। अधिकांश व्यक्ति इस जगत् में बिना किसी आदर्श के ही जीवन के इस अन्धकारमय पथ पर भटकते फिरते हैं। जिसका एक निर्दिष्ट आदर्श है, वह यदि एक हज़ार भूलें करता है, तो यह निश्चित है कि उसका कोई भी आदर्श नही है, वह पचास हजार भूलें करेगा। अतएव एक आदर्श रखना अच्छा है। इस आदर्श के सम्बन्ध में जितना हो सके, सुनना होगा, तब तक सुनना होगा, जब तक वह हमारे अनतर में प्रवेश नहीं कर जाता, हमारे मस्तिष्क में पैठ नहीं जाता, जब तक वह हमारे रक्त में प्रवेश कर उसकी एक–एक बूँद में घुल–मिल नहीं जाता, जब तक वह हमारे शरीर मे अणु–परमाणु में व्याप्त नहीं हो जाता।

– स्वामी विवेकानंद

स्वामी विवेकानंद

मनुष्य का पहला कर्त्तव्य ज्ञान प्राप्ति व दूसरा लोक कल्याण है। सारी शिक्षा का ध्येय है मनुष्य का विकास। वह मनुष्य जो अपना प्रभाव सब पर डालता है, जो अपने संगियों पर जादू–सा कर देता है, शक्ति का एक महान केन्द्र है और जब वह मनुष्य तैयार हो जाता है तो वह जो चाहे वह कर सकता है। यह व्यक्तित्व जिस पर अपना प्रभाव डालता है, उसी को कार्यशील बना देता है।

(विवेकानंद साहित्य, चतुर्थ खण्ड, पृ० 172)

महात्मा गांधी

मां के दूध के साथ जो संस्कार और मीठे शब्द मिलते हैं, उनके और पाठशाला के बीच जो मेल होना चाहिए, वह विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा देने में टूट जाता है। इस सम्बन्ध को तोड़ने वालों का हेतु पवित्र ही क्यों न हो, फिर भी वे जनता के दुश्मन हैं। हम एक ऐसी शिक्षा के वशीभूत होकर मातृद्रोह करते हैं।

महात्मा गाधी (भड़ौंच में भाषण, 20 अक्तूबर, 1917)

विद्या भारती उत्तर क्षेत्र

नारायण भवन, लाजपत राय मार्ग, कुरुक्षेत्र-136118

दूरभाष : 01744-259941 ई-मेल : vbukkkr@yahoo.co.in